Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 15-10-2025

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मतदान को सुगम बनाने के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश

जयपुर, 15 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा सामान्य चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग ने को निर्देश दिए हैं कि चुनाव दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए पूरी तरह से सुलभ बनाए जाएँ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि आगामी चुनाव में सभी मतदान केंद्रों को ग्राउंड फ्लोर/सड़क स्तर पर रखा जाएगा और दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर उपयोग करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाली रैंप उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही, मतदान बूथ में प्रवेश के समय दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

दृष्टिहीन मतदाताओं की सुविधा के लिए आयोग ने ब्रेल लक्षणों वाले सुलभ मतदाता सूचना पर्चे (Accessible Voter Information Slips) जारी करने का निर्देश दिया है, जो नियमित मतदाता सूचना पर्चे (VIS) के साथ प्रदान किए जाएंगे।

श्री महाजन ने बताया कि निर्वाचन नियम 1961 की धारा 49N के अनुसार, दृष्टिहीन व्यक्ति अपने साथ किसी सहयोगी को लेकर मतदान केंद्र पर जा सकते हैं, जो उनके लिए वोट डालने में सहायता करेगा।

सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी दृष्टिहीन मतदाता के लिए यह शीट स्वयं अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान करेगी, ताकि वे ब्रेल सुविधा का उपयोग कर स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकें, बिना किसी सहयोगी की मदद लिए।

आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। PwDs मतदाता ECINET के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा की भी मांग कर सकते हैं।

Office of Chief Electoral Officer
Rajasthan Secretariat, Jaipur

E-Mail: ceojpr-rj@nic.in &
raj.election.media24@gmail.com

Media

Press Release 15-10-2025

आगामी बिहार चुनाव एवं अंता उपचुनाव में धनबल के उपयोग को रोकने हेतु चुनाव आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को सख्त निर्देश जारी किए

चुनाव व्यय पर निगरानी रखने के लिए व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए गए

जयपुर, 15 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि आयोग ने धनबल, मुफ्तखोरी, नशीले पदार्थों, ड्रग्स और शराब के अवैध उपयोग को रोकने के लिए सभी संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि चुनाव में उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की प्रभावी निगरानी के लिए व्यय पर्यवेक्षक नामित किए गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसी चुनाव अधिसूचना के दिन से सक्रिय हैं।

मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयासों पर नजर रखने हेतु उड़न दस्ते, निगरानी दल और वीडियो निगरानी टीमें चौबीसों घंटे सतर्क रहेंगी।

निर्वाचन आयोग ने चुनाव अवधि के दौरान एफएस, एसएसटी एवं प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई जब्ती और अवरोधन की रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली "इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस)" भी सक्रिय कर दी है।

आयोग ने प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जांच और निरीक्षण के दौरान उपचुनाव क्षेत्र में आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न पहुंचाएं।

साथ ही, अंता विधानसभा क्षेत्र से आम नागरिक किसी भी उल्लंघन की सूचना सी-विजिल ऐप के माध्यम से दे सकते हैं।

श्री महाजन ने बताया कि आईआरएस अधिकारी श्री मुकेश राठौड़ को अंता उपचुनाव-2025 के लिए व्यय पर्यवेक्षक नामित किया गया है। अब तक अंता

विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 45 लाख रूपए की कीमत की जब्ती की गयी। जिसमें राज्य पुलिस विभाग द्वारा 2 करोड़ 38 लाख, राज्य आबकारी विभाग द्वारा 6 लाख तथा अन्य विभागों द्वारा लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की जब्ती शामिल है।